**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1150

उत्‍तर देने की तारीख: 16 दिसम्‍बर, 2013

**एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में अनादरपूर्ण भाषा**

1150. श्री थावर चन्द गहलोतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधन और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी) और शिक्षा बोर्डों के अन्तर्गत पहली, छठी, नवीं तथा ग्यारहवीं कक्षा के निर्धरित पाठचर्या की हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में अतार्किक, अपमानजनक तथा अनादरपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध् में मंत्रालय द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

(क) से (ग) : एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्‍तकों की विषय वस्‍तु पाठ्यपुस्‍तक विकास समिति (टीडीसी) द्वारा विकसित की जाती है और अनुमोदन राष्‍ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसी) द्वारा किया जाता है। प्रो. यशपाल की अध्‍यक्षता में 30.08.2006 को हिंदी पाठ्य पुस्‍तकों के पाठों की समीक्षा करने के बारे में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया गया था जिसके बारे में 2006 में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान कुछ मुद्दों को उठाया गया था।

समिति ने 20.10.2006 को रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्‍चात निम्‍नलिखित कार्रवाई की गई:

(i) पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित अंतरा-1 पुस्‍तक की ‘अपनी खबर’ कहानी को इसी लेखक की कहानी ‘उसकी मां’ से बदल दिया गया है। इसी तरह से इसी पुस्‍तक में धूमिल की कविता ‘मोचीराम’ की जगह इसी लेखक की ‘घर में वापसी’ कविता से बदला गया है।

(ii) आरोह-1 पुस्‍तक में प्रेम चन्‍द द्वारा रचित ‘दूध का दाम’ कहानी को इसी लेखक की कहानी ‘नमक का दरोगा’ द्वारा प्रतिस्‍थापित किया गया है।

(iii) पुस्‍तक आरोह-1 में पाश द्वारा रचित कविता की प्रस्‍तावना को संशोधित किया गया है।

हिंदी पाठ्य पुस्‍तकों में अनुचित भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी अन्‍य मामले की मंत्रालय को जानकारी नहीं है।

\*\*\*\*\*